



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

26 अग्रहायण, 1947 (श०)

संख्या - 547 राँची, बुधवार,

17 दिसम्बर, 2025 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

16 दिसम्बर, 2025

संचिका सं०-5/स०भू० हजारीबाग NTPC (लीज बंदोबस्ती)-88/2025-3377 (5)/रा०,--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषय :-मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-08.12.2025 में मद संख्या-30 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में हजारीबाग जिलान्तर्गत अंचल-बड़कागाँव के मौजा-रूदी, थाना संख्या-143, खाता संख्या-03, प्लॉट संख्या-50, 58 एवं 173 में अंतर्निहित कुल रकबा-52.57 एकड़, गैमजरूआ खास, किस्म- जंगल-झाड़ी भूमि (विस्तृत भूमि विवरणी तालिका-1), राजस्व विभागीय संकल्प सं०-48/रा०, दिनांक-03.01.2017 एवं विभागीय संकल्प सं०-4306/रा०, दिनांक-24.10.2014 की कंडिका-2(I) के आलोक में गणना की गयी प्रस्तावित भूमि का कुल देय राशि (सलामी +लगान+सेस+ (29 वर्षों के लिए लगान+सेस) 12,86,60,182/- (बारह करोड़ छियासी लाख साठ हजार एक सौ बयासी) रुपये मात्र (विस्तृत शुल्क गणना विवरणी तालिका-2) की अदायगी पर बादम कोयला खनन परियोजना हेतु एन०टी०पी०सी० लिमिटेड के साथ 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती करने के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत ।

(i) भूमि की विवरणी :-

तालिका-1

	अभिलेख सं०	अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	प्रस्तावित रकबा (ए० में)	भूमि का किस्म (गै०म० खास)
1	05/2024-25	बड़कागांव	रूदी	143	03	50	11.32	जंगल-झाड़ी
						58	28.00	जंगल-झाड़ी
						173	13.25	जंगल-झाड़ी
सकल कुल रकबा:-							52.57	

(ii) भूमि के हस्तांतरण से संबंधित कुल देय संगणित राशि की गणना विवरणी :-

तालिका-2

क्र० सं०	अभिलेख सं०	मौजा का नाम	रकबा (ए० में)	दर प्रति एकड़ (रूपये में) (व्यवसायिक दर)	सलामी की राशि (रूपये में) बाज़ार दर प्रति एकड़ X कुल एकड़	लगान (सलामी का 1 %) (रूपये में)	सेस (लगान का 75%) (रूपये में)	अन्य (29 वर्षों के लिए रेन्ट+सेस) (Rent+Cess)x 29 (रूपये में)	कुल देय राशि (रूपये में) (6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	05/2024-25	रूदी	52.57	1604857	84367332.49	843673.32	632754.99	42816421.24	128660182.05
		कुल:-	52.57		84367332.49	843673.32	632754.99	42816421.24	128660182.05 या 128660182

अर्थात् 12,86,60,182/- (बारह करोड़ छियासी लाख साठ हजार एक सौ बयासी) रूपये मात्र।

(iii) उपायुक्त, हजारीबाग प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती से संबंधित सभी खाता एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि की लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे ।

- (iv) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का लीज बंदोबस्ती किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा 12 माह में कार्य प्रारंभ नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी ।
- (v) प्रस्ताव में सन्निहित नदी, नाला इत्यादि भूमि(यदि कोई हो तो) के संबंध में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड से निर्गत संकल्प सं०- 446, दिनांक- 04.10.2024 में वर्णित प्रावधानों के अक्षरशः अनुपालन की कार्रवाई उपायुक्त, हजारीबाग सुनिश्चित करेंगे ।
- (vi) उपायुक्त, हजारीबाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रस्ताव में सन्निहित जंगल-झाड़ी भूमि का गैर वानिकी उपयोग कार्य करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जिन शर्तों के साथ अंतिम स्वीकृति दी गयी है, उनका अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।
- (vii) यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची निकाय से राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।
- (viii) इस बंदोबस्ती से प्राप्त राशि बजट शीर्ष यथा, मुख्य शीर्ष-0029-भू-राजस्व, लघु शीर्ष-107-परती भूमि के बिक्री से आगमन और भू-कर का प्रतिदान, उप शीर्ष-01- परती भूमि के बिक्री से आगमन और भू-कर का प्रतिदान, विस्तृत शीर्ष-01-प्राप्तियाँ अर्थात् “0029-00-107-01-00-01-01” के अंतर्गत जमा होगी ।
- (ix) प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि की लीज बंदोबस्ती की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी। उपायुक्त, हजारीबाग यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची निकाय द्वारा भुगतेय होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा ।
- (x) उपायुक्त, हजारीबाग यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उक्त परियोजना अंतर्गत अधियाची निकाय द्वारा जमा की गयी राशि (यदि कोई हो तो) यदि पूर्व में निर्गत राज्यादेश के अंतर्गत हस्तांतरित भूमि के मूल्य को घटाने के उपरांत अवशेष राशि प्रस्तावित भूमि के मूल्य से अधिक/समान हो तभी लीज बन्दोबस्ती की कार्रवाई करेंगे।
- (xi) प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची निकाय से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।

(xii) यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत अधियाची संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि की लीज बंदोबस्ती हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

(xiii) अन्य सभी शर्तें खासमहाल इस्टेट मैनुअल में निहित प्रावधानों एवं राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अद्यतन दिशा-निर्देशों के अनुरूप लागू होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमलाकांत गुप्ता,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
